न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्री चेतन कृष्ण त्रिपाठी, R.A.S.

प्रकरण संख्या 786/ 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

डाली प्यो० प्यारेलाल व नाहि० मि० बीरधोल तह० कोटड़ी

— प्रार्थीया/ ~~प्रार्थीगण~~

बनाम

हजारी डा० धूकल गुर्जर कौम नि० खेड़ीखुर्द

— विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :— श्री प्रणवीर सिंह चौहान अभिभाषक प्रार्थीया

निर्णय — दिनांक 6-2-19

प्रार्थीया/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :— प्रार्थीया/प्रार्थीगण के ग्राम खेड़ीखुर्द तहसील शाहपुरा/ ———— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 521 रकबा 0.11 हे० 799/520 रकबा 0.04 हे० कुल किता 2 रकबा 0.15 हैक्टयर की प्रार्थीया/प्रार्थीगण खातेदार/~~संयुक्त खातेदार~~ काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीया/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम खेड़ीखुर्द संवत 2071 से 2074 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात की प्रार्थीया/~~प्रार्थीगण~~ खातेदार/~~संयुक्त खातेदार~~ दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः प्रार्थीया/~~प्रार्थीगण~~ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खेड़ीखुर्द मे स्थित प्रार्थीया/~~प्रार्थीगण~~ की उपरोक्त खातेदारी/~~संयुक्त खातेदारी~~ की आराजीयात किता 2 रकबा 0.15 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ ———— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 100 रूपयें कायम किये जाते है जो प्रार्थीया/~~प्रार्थीगण~~ से तहसीलदार शाहपुरा/ ———— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6-2-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (भीलवाड़ा)

चेतन कृष्ण त्रिपाठी

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः—तहसीलदार, शाहपुरा/ ———— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)